



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGCO24928

संख्या-237-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2020-03-ज०श० एवं प्र०सु०/2020

दिनांक 21.03.2020

समस्त निदेशकगण,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०,

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं

उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०

शक्ति भवन, लखनऊ

विषय : कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय।

महोदया/महोदय,

कोरोना वायरस के सम्भावित संक्रमण के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यवाही की जाये :-

1. कार्यालय परिसर/विद्युत उपकेन्द्रों पर समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
2. कार्यालय परिसर/विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थापित दरवाजों, खिड़कियों आदि का निरन्तर सेनेटाइजेशन कराया जाय और इसका निरन्तर अनुश्रवण भी कराया जायें।
3. कार्यालय के साफ-सफाई में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे फिनायल, फ्लोर क्लीनर, सेनेटाइजर आदि की समुचित मात्रा में व्यवस्था की जाये।
4. वाशरूम में पानी एवं साबुन की समुचित व्यवस्था की जाये।
5. शक्ति भवन में मात्र दो प्रवेश द्वार ही खोले जायें।
6. प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा प्रवेश करने वालों के शरीर का तापमान थर्मल स्कैनर से चेक किया जाये। ऐसे कार्मिक जिनका शरीर का तापमान 99 डिग्री फारेनहाइट से अधिक होगा उन्हें मुख्यालय में प्रवेश न दें तथा उन्हें चिकित्सीय परामर्श हेतु भेजें।
7. लिफ्ट में कई लोगों को एक साथ प्रवेश न दिया जाये। एक बार में 4 से अधिक व्यक्तियों को न जाने दें। कार्मिकों को सीढ़ी के प्रयोग हेतु प्रेरित करें।
8. कैंटीन में समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था की जाये और कैंटीन में खाद्य सामग्री खरीदने वालों में आपस में एक मीटर की दूरी अवश्य बनायी रखी जाये।
9. कार्मिकों के अलावा बाहरी किसी व्यक्ति का शक्ति भवन में अग्रिम आदेश तक प्रवेश न होने दिया जाये। अगर किसी अपरिहार्य कारण से किसी गैर कार्मिक का प्रवेश आवश्यक हो तो, उस स्थित में प्रबन्ध निदेशक की अनुमति के बाद ही प्रवेश कराया जाये।
10. कार्यालय प्रभारी अपनी आवश्यकतानुसार रोस्टर बनाकर विभिन्न समयावधि में कार्मिकों को बुला सकते हैं।
11. 50 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे कार्मिकों जिन्हें पहले से डायबिटीज, श्वास सम्बन्धी समस्या, किडनी सम्बन्धी रोगों से ग्रसित हैं, उन्हें मांग के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने पर विचार किया जाये।
12. ऐसे कार्यों को चिन्हित किया जाये जिन्हें घर से कम्प्यूटर/मोबाइल के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है और ऐसे कार्मिकों को घर पर ही कार्य करने की सलाह दी जाये।
13. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी नियमित कार्मिक एवं संविदा कर्मचारी के संक्रमित होने की दशा में उन्हें अवकाश स्वीकृत कर दिया जाये एवं इस क्रम में उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती न की जाये। विशेषकर संविदा कर्मियों के मामलों में इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
14. कोरोना वायरस से पीड़ित कार्मिकों को इलाज हेतु आवश्यक धनराशि निगम के नियमानुसार सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्वीकृत करायी जाये।
15. समस्त कार्मिकों को यह भी संज्ञानित करायें कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों की अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहें और तदनुसार आवश्यक कार्यवाही भी करें और किसी प्रकार की अफवाह से बचें।

16. मुख्यालय के प्रत्येक फ्लोर पर समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो इस हेतु प्रत्येक फ्लोर हेतु एक-एक नोडल अधिकारी निम्नानुसार नामित किये जाते हैं जिनका यह दायित्व होगा कि वे दिन में कम से कम 4 बार अपने फ्लोर का निरीक्षण/भ्रमण करेंगे एवं सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी परिलक्षित होने पर वह श्री डी०पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जानपद (मो० नं०-9415114090) से सम्पर्क कर इसका समाधान करायेगें।

शक्ति भवन मुख्यालय हेतु नामित अधिकारी

क्रम सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	आवंटित तल
1	श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य-द्वितीय), पाकालि	प्रथम तल
2	श्री अनिल कुमार अवरथी, मुख्य महाप्रबन्धक, लेखा पाकालि	द्वितीय तल
3	श्री आर०के० श्रीवास्तव, अपर सचिव-तृतीय पाकालि	तृतीय तल
4	श्री ए०के० श्रीवास्तव, निदेशक (वाणिज्य) पाकालि	चतुर्थ तल
5	श्री विजय कुमार, निदेशक (वितरण) पाकालि	पंचम तल
6	श्री वी०के० खरे, निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) पारेषण	छठा तल
7	श्री ए०के० पुरवार, निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) पाकालि	सातवां तल

शक्ति भवन विस्तार हेतु नामित अधिकारी

क्रम सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	आवंटित तल
1	श्री ए०सी० पाण्डे, उप महाप्रबन्धक लेखा, पावर कारपोरेशन	द्वितीय तल
2	श्री विनीत कुमार, मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), पावर कारपोरेशन	तृतीय तल
3	श्री श्रवण पर्ती मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पावर कारपोरेशन	चतुर्थ तल
4	श्रीमती वारालिका दुबे, मुख्य अभियन्ता (नियोजन), पावर कारपोरेशन	पंचम तल
5	श्री संजीव कुमार अवरथी, उप महाप्रबन्धक लेखा, पारेषण निगम	छठा तल
6	श्री बी०के० रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (रेस्रो), पावर कारपोरेशन	सप्तम तल
7	श्री संजय तिवारी, निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) उत्पादन निगम	अष्टम तल
8	श्री ए०के० तिवारी, निदेशक (तकनीकी) उत्पादन निगम	नवम तल
9	श्री आर०के० सिंह निदेशक (आपरेशन) पारेषण निगम	दशम तल
10	श्री संदीप कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता, पारेषण निगम	11वां तल
11	श्री साधना गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक सतर्कता, पावर कारपोरेशन	12वां तल
12	श्री एच०आर० सिंह, मुख्य अभियन्ता जल विद्युत निगम	13वां तल
13	श्री नीरज अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता (आर०ए०यू०), पावर कारपोरेशन	14वां तल
14	श्री राजीव सचान मुख्य अभियन्ता (जानपद), पारेषण निगम	15वां तल

कृपया उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और किसी भी दशा में विद्युत आपूर्ति बाधित न होने पाये।

महदीय,
(एम० देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या-237(i)-ज०शा० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2019 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि० / उ०प्र० रा० वि० उ० नि० लि० ।
3. सम्बन्धित अधिकारीगण ।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(एम० देवराज)
प्रबन्ध निदेशक